फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
चम्पा व अन्य वनाम ढलाराम इत्यादि

किस्म मुकदमा... विविध–रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न. 02 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2026	पत्रावली मुख्यालय जोधपुर वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभय पक्ष की पूर्व में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जा चुकी है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मिठौड़ा, तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 699 रकबा 97 बीघा 07 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण/अपीलांट्स ने हाल में न्यायालय में अपील की कार्यवाही की जानकारी चाही तब ज्ञात हुआ कि अपील वर्ष 2023 में कायम. मुकाम की कार्यवाही नही करने व अपीलांट अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी में खारिज कर दी गई है। प्रार्थीगण/अपीलांट्स को किसी भी स्तर पर आदेश दिनांक 24.03.2022 की जानकारी नही रही है, न ही अपीलांट/प्रार्थीगण को उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट्स के कायम मुकाम की कार्यवाही संपर्क कर अधिवक्ता द्वारा जानकारी चाही गयी थी। अपीलांट्स इसी विश्वास में रहे कि अधिवक्ता न्यायालय में नियमनुसार उचित कार्यवाही कर रहे है व अपीलांट्स की आवश्यकता होने पर उन्हे सुचना दी जायेगी। आदेश दिनांक 24.03.2023 से अपीलांट्स के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे है व अपीलांट्स अपने हक हिस्से कब्जा काश्त की भूमि प्राप्त करने से वंचित हो जायेगे। इसलिए अपील में अपीलांटस के पुर्ण पक्ष को जानकर गुण अवगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलांट विधि के टेक्नीकल बिंदुओ से अनभिज्ञ है व न्यायालय के समक्ष अपील में उपस्थित होने व कार्यवाही करने हेतु अधिवक्ता द्वारा की गई चूक की सजा अपीलांट्स को नही देकर आदेश दिनांक 24.03. 2023 को सेट असाईड कर अपील को गुण अवगुण पर सुनकर निर्णित किया जाना न्यायसंगत है। अंत में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अंदर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को रेस्टोर फरमा कर पुनः नंबर पर लिए जाने का आदेष फरमाया जावें। जवाब में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ग्राम मिठौड़ा में ही निवासरत है तथा उक्त आराजी का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण/अपीलांट्गण प्रार्थना पत्र में झूठे एवं मिथ्या कथन किये गये है। यह उल्लेखनीयच है कि अपील दिनांक 24.03.2023 को खारिज हुई, जिसे रेस्टोर करने का वर्तमान आवेदन माह जनवरी 2026 में प्रस्तुत किया है जो अत्यधिक देरी यानि 22 माह की अवधि तक अपील को रेस्टोर करने बाबत कानूनी चाराजोही क्यों नही की, इस बारे में लैसमात्र भी कथन नही किया है। प्रार्थीगण/अपीलांटगण को वर्तमान आवेदन 22 माह की समयावधि के दरम्यान क्यों नही पेश किया, इसका दिन, प्रतिदिन का विवरण देना आवश्यक है और वो भी परिस्थितियां बतायी जानी आवश्यक है जो वर्तमान प्रकरण के प्रार्थीगण/अपीलांटगण के नियंत्रण से बाहर थी। मात्र किसी पक्षकार को तंग परेशान करने एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की संख्या बढ़ाने की गरज से कोई आवेदन प्रस्तुत मात्र वैग एवं अस्पष्ट कथन कि दिनांक 26.01.2026 को अप्रार्थीगण / रेस्पोडेंटगण द्वारा भूमि बेचान की धमकी देने पर जानकारी हुई, वो मानने योग्य नही है और न उसके आधार पर अपील को रेस्टोर करने का आवेदन अंदर म्या शुमार ही किया जा सकता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अदालत हाजा द्वारा अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर अपील दिनांक 24.03.2023	

राजस्व अपील प्राधिकारी

का अदम हाजरा एव अदम पैरवी में खारिज की गई है। कानूनन अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकारान् को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। विधि की मंशा रही है कि मामले का तकनीकी आधार पर निस्तारण नहीं किया जाकर मामले का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाकर विधिनुसार न्याय प्रदान किया जावे। ऐसी स्थिति में न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी अन्दर म्याद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किया जाता है एवं अपील पुनः नंबर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल अपील के साथ नत्थी हो।

आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर